# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **08/2009**
GCMS NO. : **2009/00013**

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

**वादीगण:**

1. पपूडी पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी पाटण हाल खेडा रास तहसील जैतारण।

**प्रतिवादीगण:**

1. अमरा पुत्र नैना फौत के का.मु.
   - 1.1 मतिया पत्नी अमरा
   - 1.2 हनुमान पुत्र अमरा
   - 1.3 गणकी पुत्री अमरा
   - 1.4 परमा पुत्री अमरा
   - 1.5 साबुडी पुत्री अमरा
   - 1.6 मंजू पुत्री अमरा
2. उदा पुत्र हरजी फौत के का.मु.
   - 2.1 बलदेव पुत्र उदा
   - 2.2 जोरू पुत्र उदा
   - 2.3 हरूणी पुत्री उदा
   - 2.4 सुकड़ी पुत्री उदा
   - 2.5 नारायणी पुत्री उदा
   - 2.6 ढगलाई पुत्री उदा
3. कालू पुत्र हरजी जातियान गुर्जर निवासीगण पाटण तहसील जैतारण।
4. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण
5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।
6. प्रबन्धक अम्बुजा सिमेंट फैक्ट्री राबडियावास तहसील जैतारण।

**राजस्ववादबाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू:– 23.01.2009

उपस्थितः–

1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः–27/07/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास द्वितीय में निम्न खसरान् की कृषि भूमि आयी हुई है– खसरा संख्या 2801 रकबा [illegible]0 बीघा, खसरा संख्या 2802 रकबा 3–00 बीघा, खसरा संख्या 2807 रकबा [illegible] बीघा, खसरा संख्या 2810 रकबा 31–07 बीघा, खसरा संख्या 2811 रकबा 8–16 बीघा, खसरा संख्या 2813 रकबा 05–00 बीघा कुल खसरा संख्या 06 कुल रकबा [illegible]7 बीघा पुश्तैनी कृषि भूमि वादीया की आई हुई है। जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा है जमाबंदी की नकल साथ पेश है। उक्त भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी कृषि भूमि है। वादीया प्रतिवादी संख्या 1 की भतीजी है इनके दादा नैना पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

यराम का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा था। वादीया के परिवार की वंश वंशावली म्न प्रकार है- वादीया का उक्त भूमि में अपने पिता छीतर की अकेले वादीया ारिसान होने के कारण उक्त कृषि भूमि में कानूनन 1/4 हिस्सा आता है। व 1/4 हेस्से पर कब्जा काश्त है। वादीया का काका भंवरू नाऔलाद था तथा इनका कोई ारिसान नही होने से नैना पुत्र जयराम की भूमि छीतर व अमरा 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज हो गये लेकिन राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन संख्या 505 दिनांक 16.01.2004 में भूल से नैना पुत्र जयराम के वारिसान की जगह प्रतिवादी संख्या 1 व वादीया के दादी का नाम दर्ज हो गया तथा वादीया के पिता का नाम दर्ज नही हुआ जो कि वादीया के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना जरूरी था। जमाबंदी नकल संवत् 1945 से 1961 तक पेश है मौके पर वादीया का कब्जा काश्त है। तथा 1/4 हिस्से पर वादीया का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि अम्बुजा सीमेंट राबडियावास लिमिटेड के नजदीक होने से प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम की होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि का बैचान करना चाहता है। दिनांक 18.01.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ने षड्यंत्र पूर्वक उक्त भूमि बैचान कर खरीदने की योजना बनायी तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीया के पास आया तथा कहा कि यहा से कब्जा खाली कर दो व तुम्हारे ससुराल चली जाओ। मैं उक्त जमीन का बैचान फैक्ट्री को कर दूंगा, तब वादीया ने कहा कि यह मेरे पिता कि पुश्तैनी जमीन है जिसमें मेरा 1/2 हिस्सा है एवं सम्पूर्ण भूमि में मेरा 1/4 हिस्सा है तो कहा कि तुम्हारा नाम राजस्व रिकॉर्ड मे नही है। तो वादीया दुसरे दिन अपने पति के साथ पटवार हल्का रास से नकल प्राप्त की, तब पता चला कि राजस्व अधिकारियो की गलती से वादीया के पिता का नाम म्युटेशन संख्या 505 दिनांक 16.01.2004 में दर्ज नही किया गया है। तथा वर्तमान में वादीया का नाम दर्ज नही है। वादीया के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में नही होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 6 को प्रतिवादी संख्या 4 के यहां बेचान कर देगा। यदि प्रतिवादी इस प्रकार से उक्त भूमि बेचान रहन, बक्शीश आदि कर देता है तो वादीया को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी। वादीया के पास उक्त भूमि से बेदखल होने से बैचान करने से रोकने एवं राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से श्रीमान के समक्ष वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना पड रहा है। वादीया निर्धन असहाय महिला है। अपने पिता की पुश्तैनी भूमि जाते नही देख सकेगी। मौके पर लड़ाई झगड़ा होगा मुकदमेबाजी बढेगी, इसलिए वादीया को खातेदार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी को उक्त भूमि के बेचान करने से रोका जाना न्यायहित में है। विनाय दावा दिनांक [illegible].2009 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बैचान करने की धमकी देने [illegible] की धमकी देने व राजस्व रेकर्ड में अपने पिता का नाम [illegible] होने को लेकर मौजा पाटन में उत्पन्न हुआ। जो अन्दर म्याद एवं श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1/2 तथा 3 की और से वकालतनामा पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/3 से 1/6, 2/1 से 2/6 तथा 4

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
[illegible]

6 को बार बार रूक–रूक कर आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के नुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादीगण ंख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश कर कथन किया कि पैरा संख्या 1 में दर्शायी ाई भूमि पटवार सर्कल रास में अवश्य आई हुई है लेकिन वादीया की पुश्तैनी ामीन नही है न वादीया का उक्त भूमि पर 1/4 हिस्से में कब्जा व काश्त है। ्रतिवादी संख्या 1 व 2, 3 का मौके पर अपने हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त पूर्वजो के समय से ही लगातार चला आ रहा है वादीया द्वारा बताई गई वंशावली गलत रूप से पेश की गई है। छीतर पुत्र नैना के पपूड़ी नाम की कोई पुत्री उत्पन्न नही हुई थी। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से जमीन हड़पने की नियत से उक्त वाद गलत तथ्य बताकर पेश किया है। वादीया अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहती है। वादीया का दावे के पैरा संख्या 1 में दर्शायी गयी भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। छीतर पुत्र नैना का प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का देहान्त होने से पहले ही छीतर फौत हो चूका था। एवं नैना बाद में फौत हुआ था। वादीया छीतर की पुत्री पपुड़ी नाम की कोई लड़की छीतर के पैदा नही हुई। प्रतिवादी के पिता की जीवित संतान एक ही है। वादीया का दावे के पद संख्या 1 में बताई गई भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा न आज है। प्रतिवादी संख्या 1 के 4 बहने है जो मुगनी बाई, सुखीबाई, मांगीबाई तथा जीमनी बाई, वादीया का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है और न कभी रहा। प्रतिवादी संख्या 1 अपने पूर्वजो की कब्जे काश्त की भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के कब्जा काश्त करता आ रहा है। पाटण के पास ही अम्बुजा सीमेंट का प्लांट होने से उक्त भूमि कीमती होने से वादीया प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने की गरज से उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिज के है। वादीया के उक्त दावे में बताई गई पैरा संख्या 1 में बताई गई खसरा संख्या की भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। न ही प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी नही दी। आज भी प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर अपने पूर्वजो के काल से लगातार कब्जा काश्त करता आ रहा है। वादीया ने पैरा संख्या 3 में मनगढत एवं दावे करने की गरज से दावा पेश किया है। वादीया लगातार अपने ससुराल में रह रही है। नैना के फौत होने के पहले ही छीतर फौत हो चूका था एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहनो ने अपने भाई के हक में मौखिक हकतर्क कर दिया था इस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 ही एकमात्र अपने पिता की संतान होने से इसके नाम एवं इसकी मां के नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 रेकर्डड खातेदार है एवं कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि बेचान [illegible] रहन रखने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। वादीया का मौके [illegible] पजेशन नही है। इसलिए वादीया श्रीमान के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है। न ही वादीया को विनाय दावा उत्पन्न होता [illegible]। वादीया अपने ससुराल में रह रही है। वादीया एवं प्रतिवादी के बीच आज तक किसी प्रकार का कोई जमीन को लेकर झगड़ा फसाद नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 दावे के पद संख्या 1 में बताई गई भूमि में शांतिपूर्वक कब्जा एवं काश्त कर रहा है। वादीया का मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,

(क)सी प्रकार का कब्जा नही है। इस कारण से वादीया को कोई विनाय दावा उत्पन्न (न)ही होता है। वादीया ने अपने दावे में मनगढत तथ्य व दिनांक लिखाकर विनाय (दा)वा उत्पन्न होना बताया है जो गलत है। वादीया आउट ऑफ पजेशन है। वादीया (क)ो विनाय दावा उत्पन्न नही होने से वाद खारिज योग्य होने से वाद खारिज फरमावे। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इकबालिया जवाबदावा पेश कर कथन किया कि (नै)ना पुत्र जयराम के दो जीवित पुत्र थे छीतर का 1/2 हिस्सा था तथा उसके फौत होने के बाद पपुड़ी ही छीतर की एकमात्र वारिस है। दावा डिक्री फरमावे। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

वादपत्र का विवाद्यकवार/तनकीयातवार विवेचन निम्नानुसार है-

**1. आया दावा के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीया को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।** **जिम्मे वादिया**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीया की है। वादीया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत. धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रास द्वितीय में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2801 रकबा 3-00 बीघा, खसरा संख्या 2802 रकबा 3-00 बीघा, खसरा संख्या 2807 रकबा 4-04 बीघा, खसरा संख्या 2810 रकबा 31-07 बीघा, खसरा संख्या 2811 रकबा 8-16 बीघा, खसरा संख्या 2813 रकबा 05-00 बीघा कुल खसरा संख्या 06 कुल रकबा 55-07 बीघा वादीया की पैतृक पुश्तैनी आराजी है, वादीया के दादा नैना पुत्र जयराम का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा था, नैना के तीन संतान क्रमशः भंवरू, छीतर व अमरा हुए। भंवरू नाऔलाद फौत हो चूका था तथा वादीया छीतर की एकमात्र वारिसान है। जो प्रतिवादी संख्या 01 अमरा की भतीजी है। अतः कानूनन वादीया का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा निहित है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण संख्या 505 दिनांक 16.01.2004 में भूल से नैना पुत्र जयराम के वारिसान की जगह प्रतिवादी संख्या 01 व वादिया के दादी का नाम दर्ज हो गया तथा वादीया के पिता का नाम दर्ज नही हुआ। अतः वादीया कानूनन 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का समर्थन करते हुए कथन किया कि नैना पुत्र जयराम के दो जीवित पुत्र थे, छीतर का 1/2 हिस्सा था तथा उसके फौत होने के बाद पप्पूड़ी ही छीतर की एकमात्र वारीस हैं, अतः दावा डिक्री फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीया की पुश्तैनी आराजी नही है तथा न ही वादीया का इसमें 1/4 हिस्से में कब्जा का[illegible] वादीया द्वारा प्रस्तुत वंशावली गलत है। छीतर पुत्र नैना के प[illegible] नही हुई थी। वादीया अपने पति के साथ ससुराल में रहती है[illegible]र पुत्र नैना पिता का देहान्त होने के पहले ही फौत हो चूका था। प्रतिवादी सं[illegible] 01 के चार बहने है- मुगनी बाई, सुखीबाई, मांगीबाई तथा जिमनी बाई। उक्त बहनो ने प्रतिवादी संख्या 01 के [illegible] में मौखिक हकतर्क कर दिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादपत्र के समर्थन में वादीया पप्पुड़ी देवी पुत्री छीतर का साक्ष्य शपथ त्र पी.डब्ल्यु.1 एवं वादीया द्वारा शपथ पत्र पर वादपत्र में अंकित कथनो व तथ्यो ा समर्थन किया तथा जिरह में यह स्वीकार किया कि यह सही है कि ग्राम चायत रास द्वारा प्रमाण पत्र पेश किया जारी किया गया है, नैना पुत्र जयराम की फौतेदगी नामान्तरण भरते समय कोई दस्तावेज पेश नही किए थे, मेरा सयूराल ीया का खेड़ा में है जहां मै 20 से 25 सालो से निवास कर रही हुँ, दादा फौत हो जाने के बाद मेरे काकाजी अमरा ही बोकर काश्त कर रहे है। यह कहना गलत है कि मैं छीतर की पुत्री नही हुँ बल्कि पुरा गांव व समाज जानता है कि मैं छीतर की पुत्री हुँ, नैनाराम के तीन पुत्र है- एक पुत्र भंवरू नाऔलाद फौत हुआ लेकिन छीतर की मैं जायन्दा पुत्री हुँ। नैना पुत्र जयराम के चार पुत्रियां मुगनी बाई, सुखी बाई, मांगी बाई तथा जमनी बाई है। साक्ष्य वादी चन्द्राराम पुत्र हेमाराम गुर्जर उम्र 55 वर्ष निवासी पाटन रास ने जिरह के दौरान कथन किया कि नैना का पुत्र अमरा मेरी उम्र का है, नैना कब फौत हुआ मुझे पता नही है, छीतर के पुत्री पप्पुड़ी वारिस है, भंवरू के गुजरने का वर्ष याद नही है, छीतर के जायन्दा पुत्री पप्पुड़ी है।

वादी द्वारा प्रस्तुत एवं प्रदर्श दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 जमाबंदी ग्राम रास द्वितीय संवत् 2061 से 2064 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अमरा पुत्र नैना, भदी धर्मपत्नी स्वर्गीय नैना हिस्सा 1/2 दर्ज है। प्रदर्श-2 जमाबंदी संवत् 2045 से 2048, प्रदर्श-3 जमाबंदी संवत् 2049 से 2052, प्रदर्श-4 जमाबंदी संवत् 2053 से 2056, प्रदर्श-5 जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 में वादग्रस्त आराजी नैना पुत्र जयराम हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है प्रदर्श-5 जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 के अंकन अनुसार नामान्तरण संख्या 505 दिनांक 16.01.2004 विरासत से नैनाराम पुत्र जयराम के स्थान पर अमरा पुत्र नैना व भदी धर्मपत्नी नैना दर्ज किया गया। प्रदर्श-6 सरपंच ग्राम पंचायत रास द्वारा दिनांक 02.07.2014 को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार छीतर पुत्र नैनुजी निवासी पाटण के एकमात्र जायन्दा पुत्री पप्पुड़ी पुत्री छीतर है।

प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी हड़मान पुत्र अमरा का साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यु.1 में प्रतिवादी ने जिरह में यह स्वीकार किया कि शपथ में क्या लिखा है मैं नही जानता। पप्पुड़ी देवी को मैं नही जानता। पप्पुड़ी देवी के पिता का क्या नाम है मैं नही जानता। पप्पुड़ी देवी आदमी है या औरत मुझे नही पता। मैं उदा हरजी व बालू हरजी को जानता हुँ जो मेरे पिताजी के काका है। वादग्रस्त जमीन के 1/2 में उदारामजी वगैरह है। प्रतिवादी साक्ष्य गवाह मानाराम पुत्र भैरजी उम्र 65 वर्ष निवासी पाटण डी.डब्ल्यु.2 ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि मेरे पिताजी का नाम भैराराम है, नैना पुत्र जयराम मेरे [illegible] कि सगे भाई नही थे, नैना की पत्नी का नाम भदी था, मैने [illegible] पुत्र था, मेरा घर छीतर से 100-200 पाउण्ड दूर है। [illegible] नही आती है इसलिए नही जानता हुँ। मै भंवरू को नही जानता हुँ। मेरे शप[illegible] पत्र में क्या लिखा हुआ है मुझे मालूम नही है, आदि। प्रतिवादी साक्ष्य गवाह दुर्गाराम पुत्र उदाराम उम्र 27 वर्ष निवासी पाटण डी.डब्ल्यु.3 ने जिरह में यह स्वीकार किया कि मैं नैना को जानता हूँ जो फौत हो चूका है। नैना के दो पुत्र अमराराम व छीतरराम है। छीतरजी की शादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

ही हुई थी। छीतर के एक पुत्री पप्पुड़ी हो तो मुझे पता नही। यह सही है कि मुझे गवाही देने के लिए अमराजी के पुत्र लेके आये और यह कहा कि मेरे पक्ष में गवाह देने के लिए चलो, आदि। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए एवं न ही दस्तावेज प्रदर्श करवाए।

इस प्रकार उपर्युक्त दस्तावेजी साक्ष्य, साक्ष्य शपथ पत्र, जिरह में प्रकट अभिवचनो एवं प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में नैना पुत्र जयराम 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज था जिसके फौत होने पर नामान्तरण संख्या 505 द्वारा पुत्र अमरा व पत्नी भदी का नाम बतोर वारीसान दर्ज किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 जो वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पारिवारिक संबंधी है, द्वारा जवाबदावा में यह स्वीकार किया गया है कि वादीया छीतर की पुत्री एवं एकमात्र वारिसान है तथा छीतर नैना का पुत्र था। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि छीतर नैना का पुत्र व अमरा का भाई था, छीतर की मृत्यु पिता नैना की मृत्यु से पूर्व हो गई थी। सरपंच ग्राम पंचायत रास द्वारा भी यह प्रमाणित किया है कि वादीया पप्पुड़ी, छीतर की पुत्री है। इस प्रकार यह संदेह से परे है कि वादीया छीतर पुत्र नैना की वारिसान है तथा छीतर जो कि पिता नैना की मृत्यु से पूर्व ही फौत हो चूका था तथा खातेदार नैना के फौत होने पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 505 द्वारा छीतर के वारिसान को नजरअंदाज करते हुए ग्राम पंचायत रास द्वारा विधिविरूद्ध रूप से केवल नैना के जीवित पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 अमरा एवं पत्नी भदी को बतोर वारिसान दर्ज किया गया। चूंकि वादीया द्वारा यह दावा किया गया है कि वादग्रस्त आराजी उसकी पैतृक आराजी है तथा प्रतिवादी संख्या 01 एवं स्वयं वादीया द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मृतक खातेदार नैना के तीन पुत्र एवं चार पुत्रियां थी, इनमें से एक पुत्र भंवरू लाऔलाद फौत हो गया, तथा पत्नी भदी भी फौत हो चूकी है, इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में मृतक खातेदार नैना के दो पुत्र क्रमशः वादीया के पिता छीतर एवं प्रतिवादी संख्या 01 अमरा तथा चार पुत्रियां मुगनी बाई, सुखी बाई, मांगी बाई तथा जिमनी बाई समान हिस्से के हकदार रहे है जिनका प्रत्येक का हिस्सा 1/2 का 1/6 अर्थात 1/12 बनता है। चूंकि मृतक खातेदार नैना की पुत्रियो द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नही किया गया है अतः इस संबंध में अनुतोष बाबत् कोई टिप्पणी अपेक्षित नही है, लेकिन यह भी संशय से परे साबित होता है कि वादीया का वादग्रस्त आराजी में 1/12 हिस्सा निहित है जिसके खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की वादीया अधिकारी है। अतः उपर्युक्त इसी अनुरूप वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**2. आया उक्त भूमि में वादीया के हिस्से के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे? जिम्मे वादिया**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

यह विवाद्यक साबित करने का भार वादीया की है। चूंकि विवाद्यक संख्या 01 के विवेचन एवं निर्णयन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/12 हिस्सा निहित है जिसके खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की वादीया अधिकारी है। अतः अपने 1/12 हक हिस्से तक वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः यह विवाद्यक इसी अनुरूप वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**3. आया उक्त भूमि का बैचान, बक्शीश, रहन आदि करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को रोका जावे।** **जिम्मे वादिया**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीया की है। विवाद्यक संख्या 01 के विवेचन एवं निर्णयन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/12 हिस्सा निहित है जिसके खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की वादीया अधिकारी है। अतः वादीया के हक हिस्से तक वादग्रस्त आराजी को रहन, बैचान, बक्शीश आदि करने से रोकने के लिए वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः यह विवाद्यक इसी अनुरूप वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**4. आया छीतर पुत्र नैना के पप्पूड़ी जायन्दा संतान नही है।** **जिम्मे प्रतिवादी**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 की है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाबदावा में यह कथन किया है कि वादीया पप्पुड़ी छीतर पुत्र नैना की जायन्दा संतान नही है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए कोई दस्तोवेजी साक्ष्य प्रस्तुत एवं प्रदर्श नही करवाए। इसके विपरीत वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा जवाबदावा में यह स्वीकार किया है कि वादीया पप्पुड़ी, छीतर की पुत्री है। इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत रास द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 02.07.2014 एवं वादीया द्वारा बतौर साक्ष्य प्रस्तुत एवं प्रदर्श-6 के अनुसार वादीया पप्पुड़ी छीतर की जायन्दा पुत्री है। हालांकि उत्तराधिकारियो की घोषणा न्यायालय हाजा का क्षैत्राधिकार नही है तथा न ही हस्तगत प्रकरण में यह आवश्यक प्रश्न है? न ही प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा सक्षम न्यायालय से जारी ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि पप्पुड़ी छीतर पुत्र नैना की जायन्दा संतान है या नही? लेकिन उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य जिन्हे कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा संदेह से परे एवं सफलतापूर्वक खण्डित नही किया है, से यह भलीभांति साबित है कि मृतक खातेदार नैना पुत्र जयराम की तीन पुत्र क्रमशः भंवरू, छीतर व अमरा थे, छीतर की वारिसान वादीया पप्पुड़ी है एवं अमरा प्रतिवादी संख्या 01 है तथा भंवरू लाऔलाद फौत हो चूका है अतः प्रतिवादी संख्या 01 इस विवाद्यक को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है अतः यह विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध तथा वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**5. आया उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही लगातार कब्जा व काश्त है।** **जिम्मे प्रतिवादी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 की है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के लगातार कब्जा काश्त में है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त कथनो के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है न ही ऐसा कोई दस्तावेज बतोर साक्ष्य प्रदर्श करवाया है। विवाद्यक संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की पैतृक पुश्तैनी आराजी है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तक खातेदार नैना पुत्र जयराम की पौत्री होने के नाते वादीया का 1/12 हिस्सा हित है अतः ऐसी स्थिति में यह विषय महत्वपूर्ण नही है कि वादग्रस्त आराजी किसके कब्जे काश्त में है। अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित नही होने से तिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

5. **आया नैना की एक मात्र संतान प्रतिवादी संख्या 1 ही है। जिम्मे प्रतिवादी**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 की है। प्रतिवादी संख्या 01 अमरा पुत्र नैना द्वारा जवाबदावा में स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि नैना के तीन पुत्र एवं चार पुत्रियां क्रमशः मुगनी बाई, सुखी बाई, मांगी बाई तथा जिमनी बाई है। वादीया द्वारा भी साक्ष्य में जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि नैना के चार पुत्रिया क्रमशः मुगनी बाई, सुखी बाई, मांगी बाई तथा जिमनी बाई है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी संख्या 01 की स्वीकारोक्ति मात्र से यह साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 नैना की एकमात्र संतान नही है। अतः यह विवाद्यक भलीं भांति साबित नही होने से प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

7. **आया प्रतिवादी संख्या 1 के चार बहिने है, वंशावली गलत दर्शायी गई है।**

**जिम्मे प्रतिवादी**

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 की है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा में यह स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 01 नैना पुत्र जयराम के तीन पुत्र क्रमशः भंवरू, छीतर तथा अमरा एवं चार पुत्रियां क्रमशः मुगनी बाई, सुखी बाई, मांगी बाई तथा जिमनी बाई है, इसी प्रकार वादीया द्वारा भी जिरह के दौरान यह स्वीकार किया कि उसके दादा नैनाजी के चार पुत्रियां क्रमशः मुगनी बाई, सुखी बाई, मांगी बाई तथा जिमनी बाई है। चूंकि यह साबित है कि नैना के पुत्र भंवरू लाऔलाद फौत हो चूका है, स्वयं नैना एवं नैना की पत्नी भदी फौत हो चूकी है तथा नैना के पुत्र एवं वादीया के पिता छीतर भी नैना से पूर्व फौत हो चूके है तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 जो कि नैना की पौत्री एवं पुत्र है, द्वारा स्वीकार किया गया है कि नैना के उपर्युक्त चार पुत्रियां है जो कि प्रतिवादी संख्या 01 की बहने है अतः यह विवाद्यक भली भांति साबित होने से प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

**8.दादरसी।**

उपर्युक्त विवाद्यक वार विवेचन एवं निर्णयन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कोई प्रार्थना पत्र या विवाद्यक या आवश्यक एवं विवेच्य विषय विवेचन एवं निर्णयन से शेष नही है तथा अन्य कोई अनुतोष प्रदान किया जाना अपेक्षित एवं शेष नही है, वाद खर्चा पक्षकारान् अपना अपना करेगे। अतः यह विवाद्यक इसी अनुरूप निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

**-: आदेश :-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीया अंतर्गत आदेश धारा-88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तौजा रास द्वितीय, पटवार हल्का रास द्वितीय, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2801 रकबा 3-00 बीघा, खसरा संख्या 2802 रकबा 3-00 बीघा, खसरा संख्या 2807 रकबा 4-04 बीघा, खसरा संख्या 2810 रकबा 31-07 बीघा, खसरा संख्या 2811 रकबा 8-16 बीघा, खसरा संख्या 2813 रकबा 05-00 बीघा कुल खसरा संख्या 06 कुल रकबा 55-07 बीघा के भू अभिलेख में नैनाराम पुत्र जयराम के विधिक वारिसान की जांच किए बिना विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण रूप से भरा गया नामान्तरण संख्या 505 दिनांक 16.01.2004 वादीया के हक हिस्से 1/12 भाग की सीमा तक आरम्भतः शून्य होने, वादीया मृतक खातेदार नैना पुत्र जयराम की पौत्री होने से वादीया का वादग्रस्त आराजी में कानूनन 1/12 हिस्सा निहित होने एवं वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख में नैना के वारिसान के रूप में भदी पत्नी नैना हिस्सा 1/4 का भाग ही शेष रहने तथा दीगर वारिसान द्वारा वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरित कर दिए जाने से वादीया को उपर्युक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में से 1/12 हिस्से की खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, वादीया का उपर्युक्त 1/12 हक हिस्सा वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज भदी पत्नी नैना हिस्सा 1/4 के रकबे में से कम करते हुए भू अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार जैतारण उपर्युक्त कार्यवाही के उपरान्त मृतक खातेदार भदी पत्नी नैना के हिस्से में रही शेष आराजी को भदी के विधिक वारिसान की समुचित जांच करते हुए नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के हक हिस्से की आराजी में दखलन्दाजी नही करे। वादीया के हक हिस्से तक यदि प्रतिवादीगण द्वारा कोई अन्तरण आदि किया गया हो तो ऐसे समस्त अन्तरण वादीया के हक हिस्से तक आरम्भतः शून्य होगे। इसी कदर वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 27/07/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**

**(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)**

राज अदालतः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

पेईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

| –: वादीया :– | बनाम | –: प्रतिवादीगण :– |
|---|---|---|
| 1. पपूडी पुत्री छीतर जाति गुर्जर निवासी पाटण हाल खेडा रास तहसील जैतारण। | | 1. अमरा पुत्र नैना फौत के का.मु.<br>1.7 मतिया पत्नी अमरा<br>1.8 हनुमान पुत्र अमरा<br>1.9 गणकी पुत्री अमरा<br>1.10 परमा पुत्री अमरा<br>1.11 साबुडी पुत्री अमरा<br>1.12 मंजू पुत्री अमरा<br>2. उदा पुत्र हरजी फौत के का.मु.<br>2.1 बलदेव पुत्र उदा<br>2.2 जोरू पुत्र उदा<br>2.3 हरूणी पुत्री उदा<br>2.4 सुकड़ी पुत्री उदा<br>2.5 नारायणी पुत्री उदा<br>2.6 ढ्गलाई पुत्री उदा<br>3. कालू पुत्र हरजी जातियान गुर्जर निवासीगण पाटण तहसील जैतारण।<br>4. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण<br>5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।<br>6. प्रबन्धक अम्बुजा सिमेंट फैक्ट्री राबडियावास तहसील जैतारण। |

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0ःरा0वा0स0ः 08/2009

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........–........ व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर तथा श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादीया अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास द्वितीय, पटवार हल्का रास द्वितीय, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण [illegible] ली राज0 में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2801 रकबा 3-0[illegible] बीघा, खसरा संख्या 2802 रकबा 3-00 बीघा, खसरा संख्या 2807 रकबा 4-04 बीघा, खसरा संख्या 2810 रकबा 31-07 बीघा, खसरा संख्या 2811 रकबा 8-[illegible] बीघा, खसरा संख्या 2813 रकबा 05-00 बीघा कुल खसरा संख्या 06 कुल रकबा 55-07 बीघा के भू अभिलेख में नैनाराम पुत्र जयराम के विधिक वारिसान की जांच किए बिना विधि विरुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वं त्रुटिपूर्ण रूप से भरा गया नामान्तरण संख्या 505 दिनांक 16.01.2004 वादीया हक हिस्से 1/12 भाग की सीमा तक आरम्भतः शून्य होने, वादीया मृतक खातेदार नैना पुत्र जयराम की पौत्री होने से वादीया का वादग्रस्त आराजी में कानूनन 1/12 हिस्सा निहित होने एवं वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख में नैना के वारिसान के रूप में भदी पत्नी नैना हिस्सा 1/4 का भाग ही शेष रहने तथा दीगर वारिसान द्वारा वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरित कर दिए जाने से वादीया को उपर्युक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में से 1/12 हिस्से की खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, वादीया का उपर्युक्त 1/12 हक हिस्सा वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज भदी पत्नी नैना हिस्सा 1/4 के रकबे में से कम करते हुए भू अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार जैतारण उपर्युक्त कार्यवाही के उपरान्त मृतक खातेदार भदी पत्नी नैना के हिस्से में रही शेष आराजी को भदी के विधिक वारिसान की समुचित जांच करते हुए नियमानुसार नामान्तरण की कांर्यवाही करे। प्रतिवादीगण को जंरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के हक हिस्से की आराजी में दखलन्दाजी नही करे। वादीया के हक हिस्से तक यदि प्रतिवादीगण द्वारा कोई अन्तरण आदि किया गया हो तो ऐसे समस्त अन्तरण वादीया के हक हिस्से तक आरम्भतः शून्य होगे। इसी कदर वादपत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/07/2022 को सर-ए-इजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (जिला-पाली)

| मुद्दई | रूपये पैसे |
|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 04-00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01-00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | / |
| महनताना वकील | |
| खर्चा गवाहान | |
| फीस कमीश्नर | 13-00 |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | / |
| मिजानः– | 18-00 |

| मुद्दायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|
| स्टाम्प वकालतनामा | 03-00 |
| स्टाम्प अर्जी | 01-00 |
| महनताना वकील | |
| खर्चा गवाहान | / |
| फीस कमीश्नर | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| मुत्फरिक | |
| मिजानः– | 04-00 |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो प[illegible] की चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested